

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
ललितपुर।राजस्व अनुभाग-10प्रार्थ  
लखनऊ: दिनांक: 02 फरवरी, 2022

विषय:- टी0आर0-27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि के समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-595/22-एम0सी0-आ0सहा0/मा0मु0मं0रा0को0 (2021-22), दिनांक 10.12.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृतक के परिजन श्रीमती पार्वती पत्नी श्री भोगी, निवासी नयागांव तहसील व जनपद ललितपुर को तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि टी0आर0-27 से आहरित की गयी है। उक्त टी0आर0-27 से आहरित धनराशि के समायोजन हेतु रू0 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) की धनराशि **निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन** जिलाधिकारी, ललितपुर के निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) राहत सहायता के वितरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माडल कोड आफ कन्डक्ट में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
- (3) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के नियम-209 तथा चैप्टर-1 के संलग्नक-ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।
- (5) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
- (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-359-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (7) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

2- उक्त स्वीकृति रू0 2,00,000/- (रू0 दो लाख मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,  
(रणवीर प्रसाद)  
सचिव।

संख्या-338 (1)/एक-10-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
- 3- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
- 4- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित, मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 9- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(राम केवल)  
विशेष सचिव।  
७-

## Allotment Grid Report

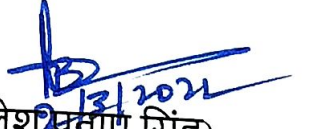
वित्तीय वर्ष:-2021-2022  
आवंटन दिनांक-02/03/2022

प्रेषण संख्या:- 338  
आवंटन आदेश संख्या:- 205-2021-2022  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
80 - सामान्य  
800 - अन्य व्यय  
07 - जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम              |                    | 20-सहायता<br>अनुदान -<br>सामान्य (गैर<br>वेतन) | योग              |
|-------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 1     | ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 200000<br>643333                               | 200000<br>643333 |
|       | योग                              | वर्तमान<br>प्रगामी | 200000<br>643333                               | 200000<br>643333 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो लाख  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः लाख तियालीस हजार तीन सौ तैंतीस

  
(अखिलेश प्रताप सिंह)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
(अखिलेश प्रताप सिंह)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त कार्यालय  
उ० प्र० शासन।